परिपत्र

परिपत्र संख्या: पीएफआरडीए/2026/06/एसयुपी-टीबी/01 **दिनांक : 23 जनवरी, 2026**

प्रति : सभी एनपीएस / एपीवाई हितधारक

विषय : संबंधित स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) में लौटी और विलंबित लेनदेन राशि के पुनर्निवेश पर विस्तारित दिशानिर्देश

अभिदाताओं को लौटाए गए लेन-देन पर बाजार से जुड़े प्रतिफल का लाभ प्रदान करने के लिए प्राधिकरण ने परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2023/07/एसयूपी-टीबी/01 दिनांक 07 फरवरी 2023 जारी किया था। । इस परिपत्र के माध्यम से लौटाई गई राशि को उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में पुनर्निवेश की अनुमति दी गई , जो निवेश विकल्प और निकासी के समय लागू पेंशन फंड आवंटन पर आधारित है। इस नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था कि अभिदाताओं को बाजार से जुड़े रिटर्न का लाभ मिल सके।

2. प्रारंभ में, केवल वे एनपीएस / एपीवाई फंड जो गलत बैंक खाते के विवरण के कारण अभिदाता के बैंक खाते में जमा नहीं किए जा सकते थे, अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में पुनर्निवेश के लिए पात्र थे। हालांकि, ऐसे अन्य उदाहरण हैं, जहां एनपीएस प्रणाली में निकास / प्रत्याहरण को अधिकृत करने के बाद लेनदेन लंबित रहते हैं और जो एनपीएस / एपीवाई अभिदाताओं को बाजार रिटर्न का लाभ प्राप्त करने से रोकते हैं।

3. अभिदाता के लाभों को और अधिक बढ़ाने के लिए, और पिछले परिपत्र के क्रम में, यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित लेनदेन भी केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी (सीआरए) द्वारा अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में पुनर्निवेश के लिए पात्र होंगे :

क. लौटाए गए या असफल लेनदेन जो विशिष्ट कारणों से अभिदाता या नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा होने में विफल रहे हैं (उदाहरण के लिए, खाता बंद करना, अमान्य आईएफएससी, बंद / निष्क्रिय स्थिति आदि)।

ख. वार्षिकी रद्दीकरण की राशि जो अभिदाता द्वारा प्रयोग किए गए फ्री लुक पीरियड कैंसिलेशन (एफएलसी) के कारण एएसपी द्वारा लौटाई गई है।

ग. गैर-एनपीएस मामलों (ओपीएस या पारिवारिक पेंशन) के कारण वार्षिकी रद्दीकरण राशि ।

घ. गुणवत्ता निगरानी या स्पष्टीकरण लंबित होने के कारण सीआरए द्वारा रोकी गई राशि ।

ङ. विधिक मामलों या निकासी अनुरोधों से संबंधित विवादों के कारण सीआरए द्वारा रोकी गई राशि।

च. टियर II निकासी, आंशिक निकासी और मृत्यु निकासी मामलों से संबंधित लौटाए गए लेनदेन।

4. सीआरए एनपीएस ट्रस्ट निकासी खाते में धन जमा होने की तिथि से एक महीने (30 दिन) की अवधि के बाद लौटाई गई राशि को अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में पुनर्निवेश करेगा, ऐसे मामलों में जहां अभिदाता, नोडल कार्यालय या एएसपी से आवश्यक दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होते हैं।

5. इस **30 दिन की अवधि के दौरान**, सीआरए एसएमएस, ईमेल और संचार के अन्य माध्यमों से अभिदाताओं और नोडल कार्यालयों के साथ सही बैंक खाते में धनराशि भेजने के लिए **आवश्यक दस्तावेज जमा करने** की अपेक्षा के बारे में संपर्क करेगा । सीआरए 30 दिन की अवधि के भीतर कोई प्रतिक्रिया या दस्तावेज प्राप्त नहीं होने पर स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में धन के प्रस्तावित पुनर्निवेश के बारे में अभिदाता या नोडल कार्यालय को भी सूचित करेगा। इसके अतिरिक्त, संपर्क के दौरान सीआरए पुनर्निवेशित राशि को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया पर विस्तृत निर्देश प्रदान करेगा।

कृपया ध्यान दें कि पुनर्निवेशित राशि से संबंधित भविष्य का कोई भी दावा बाजार में उतार-चढ़ाव के अध्यधीन होगा।

6. यह परिपत्र, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

भवदीय,

Ashish Kumar Bharati

Digitally signed by Ashish Kumar Bharati

आशीष कुमार भारती

मुख्य महाप्रबंधक

CIRCULAR

PFRDA/2026/06/SUP-TB/01 **Date: January 23, 2026**

To: All NPS/APY Stakeholders

Subject: Expanded guidelines on reinvestment of returned & pending transaction amounts into the respective PRANs

In order to offer subscribers, the benefit of market-linked returns on returned transactions, the Authority had issued Circular No. PFRDA/2023/07/SUP-TB/01 dated 07th February 2023. This circular allowed the reinvestment of returned amounts into the same PRAN, based on the investment choice and pension fund allocation prevailing at the time of exit. This policy was implemented to ensure subscribers benefit from market-linked returns.

2. Initially, only those NPS/APY funds which could not be credited to the subscriber's bank account due to incorrect bank account details were eligible for reinvestment into the subscriber's PRAN. However, there are other scenarios where transactions remain pending in the NPS system following the authorization of exit/withdrawal and which prevents the NPS/APY subscribers from receiving the benefits of market returns.

3. To further enhance subscriber benefits, and in continuation of the previous circular, it has now been decided that the following transactions will also be eligible for reinvestment into the subscriber's PRAN by the Central Record Keeping Agency (CRA):

a. Returned or unsuccessful transactions which have failed to be credited to the subscriber's or nominee's bank account due to specific reasons (e.g., account closed, invalid IFSC, frozen/dormant status etc).
b. Annuity cancellation proceeds returned by ASP due to Free Look Period Cancellation (FLC) exercised by the subscriber.
c. Annuity cancellation proceeds due to Non-NPS cases (OPS or Family pension).
d. Amount kept on hold by CRA due to quality monitoring or pending clarification.
e. Amount withheld by CRA due to ongoing legal matters or disputes related to withdrawal requests.
f. Returned transactions pertaining to Tier II withdrawal, Partial withdrawal and Death withdrawal cases.

4. The CRA will reinvest the returned amount into the subscriber's PRAN after a period of one month (30 days) from the date the funds are credited to the NPS Trust withdrawal account, in cases where required documentation or clarifications are not received from the subscriber, nodal office or ASP.

5. During this **30-day period**, the CRA shall communicate with subscribers and nodal offices through SMS, email, and other modes of communications about the requirement for **submission of requisite documents** to remit funds to the correct bank account. CRA will also

notify the subscriber or nodal office regarding the proposed reinvestment of the funds into the PRAN if no response or documents are received within the 30-day window. Additionally, in the communication the CRA will provide detailed instructions on the process for reclaiming the reinvested amount.

Please note that any future claims concerning the reinvested amount will be subject to market fluctuations.

6. This circular is issued in exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 14 read with clause (e) of sub-section (2) of Section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

Yours sincerely

Ashish Kumar Bharati

Digitally signed by Ashish Kumar Bharati

Ashish Kumar Bharati
Chief General Manager